आधार कार्ड आयु का प्रमाण नहीं: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **मध्य प्रदेश** उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिये किया जा सकता है, लेकिन **जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं।**

मुख्य बिंदु

- **पृष्ठभूमि:**
  - एक विधवा ने तड़ित के कारण अपने पति की हुई मृत्यु के लिये जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत मुआवज़े की मांग करते हुए याचिका दायर की।
  - उनका आवेदन इसलिये खारिज कर दिया गया क्योंकि मतदाता पहचान-पत्र **और** राशन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज़ों के अनुसार उनके पति की आयु पात्रता सीमा 64 वर्ष से अधिक थी।
  - याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि आधार कार्ड में दर्ज आयु पर विचार किया जाना चाहिये, जिससे वह मुआवज़े के लिये पात्र हो जाएगी।
- **कानूनी मिसाल और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - उच्च न्यायालय ने अक्तूबर 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि आधार को आयु प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
  - इस निर्णय में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गए पूर्व के निर्णयों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा अगस्त 2023 में जारी किये गए एक परिपत्र पर विचार किया गया।
  - उच्च न्यायालय ने कहा कि **राज्य योजनाओं के तहत आयु के प्रमाण के रूप में आधार को उपयोग करने की अनुमति देने वाला कोई भी कार्यकारी निर्देश न्यायालय के निर्णयों को रद्द नहीं कर सकता।**

आधार

- आधार एक **12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है** जिसे भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है। यह संख्या भारत में कहीं भी **पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम आती है।**
- आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक दस्तावेज है जो **व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को सरकारी डाटाबेस में संग्रहीत करता है।**
- देश में **छह महीने से अधिक समय तक निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति** को आधार कार्ड जारी किया जा सकता है, यदि वह 18 मान्यता प्राप्त पहचान पत्रों में से एक और पते का प्रमाण प्रस्तुत करता है।
- विदेशी नागरिक इसे प्राप्त करने के पात्र हैं **यदि वे छह महीने से भारत में रह रहे हों।**
- आधार संख्या निवासियों को बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता करेगी।